न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किरम मुकदमा	दर्ज दिनांक
03/21	एफएसएस एक्ट, 2006	15/03/2021

1. प्रेमचन्द्र जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1. अशोक कुमार नागा पुत्र श्री भीकाराम नागा ,उम्र लगभग 43 वर्ष जाति छीपा (एफबीओ व मौके पर विकेता) फर्म संत गुरूकृपा ,उदेई मोड गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी निवासी भगवती स्कूल के पास ,गणेश मील, गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी ।

–अभियुक्तागण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांकः– 04.09.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 26.10.2020 को लगभग 02:45 पीएम पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फर्म संत गुरूकृपा उदेई मोड गंगापुर सिटी पर श्रीमति सुनिता मीना प्रवर्तन निरीक्षक गंगापुर सिटी के साथ निरीक्षण हेतु पहुँचा। वहां पर निरीक्षण के समय मौजूदा व्यक्ति ने अपना नाम अशोक कुमार नागा पुत्र श्री भीकाराम नागा उम्र लगभग 43 वर्ष जाति छीपा बताया तथा स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। आवेदक ने अशोक कुमार को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। उक्त दुकान पर मिठाई, पनीर व नमकीन आदि खाद्य सामग्री आमजन को विक्रय करते है। आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के काउन्टर पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) लगभग 5 किलो एक एल्यूमिनियम की ट्रे में रखा हुआ था। एल्यमिनियम की ट्रे में रखे हुए खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) का निरीक्षण करने पर उसमें मिलावट का शक होने पर मौके पर मौजूद विकेता व दुकान मालिक अशोक कुमार नागा से उक्त खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) में से शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने को कहा तथा विकेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5 ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये ।

आवेदक द्वारा दुकान के काउन्टर पर रखे हुए खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) को अच्छी तरह मिक्स कर उसमें से 1 किलो पनीर (खुला) शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने बाबत् खरिदा जिसकी किमत विकेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 320/–रू0 नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा नमूने की पूर्ण कार्यवाही कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सिल बन्द किया गया था उक्त फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द शिशि एक आउटर कवर में लेपटकर सिल मोहर कर तथा अलग से फार्म नं0 6 की दो प्रतियाँ एक लिफाफें में सील मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द शिशि व फार्म नं0 6 का सील बन्द लिफाफा मो0 असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 27.10.2020 को मुख्य खाद्य विशलेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो शीशी भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2020/1831 दिनांक 10.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विपलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1440/एक्ट/2020/1491 दिनांक 29.10.2020 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) सबस्टेण्डर्ड पाया गया। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)का उल्लघंन है। जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है।

उक्त प्रकरण मे मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1440/एक्ट/2020/1491 दिनांक 29.10.2020 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षो की बहस सुनी गई।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्त एक किराये की दुकान पर भूमियायो से दूध क्रय कर केवल मिठाई बनाने का कार्य करता है। अभियुक्त द्वारा पनीर निर्माण का कोई कार्य नही किया जाता है। उक्त पनीर अभियुक्त द्वारा क्रय कर उसी अवस्था मे विक्रय किया जाता है। अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नही की जाती है। पनीर (खुला) की मियाद केवल 2 दिवस ही होती है। जिस कारण अभियुक्त द्वारा उक्त पनीर एक एल्यूमिनियम की परात मे पानी के अन्दर रखा गया था। लेकिन आवेदक द्वारा उक्त पनीर एक सादा शिशि मे भरा गया जिससे ना तो कोल्ड मशीन मे ना हि उसके तापमान के संबंध मे कोई व्यवस्था आवेदक द्वारा दी गई। जिसके कारण उक्त पनीर अवमानक प्रकृति का पाया गया। जिसका जिम्मेदार स्वयं आवेदक है। अभियुक्त एक किराये की दुकान कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अतः अभियुक्त की स्थिती को मध्येनजर रखते हुए प्रकरण की कार्यवाही समाप्त करने हेतु वकील अभियुक्त ने निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1440/एक्ट/2020/1491 दिनांक 29.10.2020 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है, आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नही था तो रैफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि मे आवेदन कर सकता था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को 10,000 (दस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक. 04.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी